भाग एक : खण् ड पांच

मध् य ूदेश वन उपज (व् यापार िविनयमन) िनयम, 1969

ब. 7314-53/दस/(3)-69 मध् य पिेश वन उपज (व् यापार िविनयमन) अिधिनयम 1969 (ब. 9, वषर् 1969) की धारा 21 द्वारा ूदत् त शिक्तयों को ूयोग में लाते हुए, राज् य शासन एद्तद्वारा, िनम् निलिखत िनयम जो िक उक् त धारा की उपधारा (1) अपेिक्षत िकये अनुसार पूवर् में ही ूकािशत िकये जा चुके हैं अथार्त्

िनयम

1. संिक्षप् त नाम - ये िनयम मध् य ूदेश, इमारती लकड़ी से िभन् न, वन उपज (व् यापार िविनयमन) िनयम, 1969 कहलायेंगे।

[1](क) लागू होना - ये इमारती लकड़ी से िभन् न समः त िविनिदर्ं ट वनोपज पर लागू होंगे।

[1](ख) िनदेर्श का अथार्न् वयन (Construction of Reference) इन िनयमों में िविनिदर्ं ट वन उपज के ूित िकसी भी िनदेर्श के अन् तगर्त इमारती लकड़ी के ूित िनदेर्श नहीं होगा।

2. पिरभाषायें - इन िनयमों में जब तक ूसंग से अन् यथा अपेिक्षत न हो -

(क) "अिधिनयम" से तात् पयर् मध् य ूदेश वन उपज (व् यापार िविनयमन) अिधिनयम, 1969 (ब. 9, वषर् 1969), से है।

(ख) "खण् डीय वन आिफसर" से तात् पयर् उस वन आिफसर से है, जो क्षेऽीय वन खण् ड का ूभारी हो।

(ग) "ूरूप" से तात् पयर् इन िनयमों से संलग् न ूरूप से है।

(घ) "बेता" से तात् पयर् ऐसे व् यिक्त या पक्ष से है, िजसे ऐसी रीित में, िजसका िक राज् य सरकार धारा 12 के अधीन िनदेर्श दें, िविनिदर्ं ट वन उपज बेच दी गई हो या उसका अन् यथा िनवतर्न कर िदया गया हो।

(ङ) "धारा" से तात् पयर् अिधिनयम की धारा से है।

---

1. राज् य शासन ने अिधसूचना ब. 18-7-73 दस (एक) िदनांक 23/10/78 के द्वारा िनयम (1) के ः थान पर ूितः थािपत/राजपऽ िदनांक 17 नवम् बर, 1978, भाग 4(ग), पृष्ठ 313।

(च) "पिरवहन अनुज्ञा पऽ" का तात् पयर् िविनिदर्ं ट वन - उपज का पिरवहन करने के िलये धारा 5 की उपधारा (2) के खण् ड (ग) के अधीन जारी िकये गये अनुज्ञा-पऽ से हैं

3. अिभकतार् की िनयुिक्त - (1) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन इकाई या इकाइयों के िलये तथा समः त या िकसी िविनिदर्ं ट वन उपज के हेतु अिभकतार् या अिभकतार्ओं की िनयुिक्त करने के िलए राज् यसरकार, अिभकरण (Agency) के िनबन् धन तथा शतेर्ं देते हुए और एसी िनयुिक्त के िलये आवेदन पऽ आमंिऽत करते हुए, मध् य ूदेश राजपऽ में तथा ऐसी अन् य रीित में, िजसे िक वह उिचत समझे एक सूचना ूकािशत करेगी।

(2) अिभकरण के िलए आवेदन "ूारूप क" में होगा जो िक सम् बिन्धत खण् डीय वन आिफसर के कायार्लय से या िकसी अन् य खण् डीय वन आिफसर से, ूत् येक ूारूप के िलये एक रूपये का संदाय करने पर ूाप् त िकया जा सकेगा।

(3) अिभकरण हेतु ूत् येक आवेदन पऽ के िलये न लौटाने योग् य दस रुपये फीस चुकाई जायेगी। रकम वन िवभाग द्वारा धनरािश ः वीकार करने के िलए िविहत िनयमों के अनुसार उस खंड के खाते में देय होगी, िजसमें िक इकाई िःथत हो। ूत् येक िविनिदर्ं ट वन उपज की इकाई के िलये पृथक्-पृथक् आवेदन आपेिक्षत होगा।

(4) (एक) अिभकरण के िलये आवेदन-पऽ िविहत आवेदन फीस सिहत, सभी दृिष्टयों से पूणर् िकया जाकर ऐसे ूािधकारी को, ऐसी तारीख तक, ऐसी रीित में, जो िक पूवोर्क् त सूचना में िविनिदर्ं ट की जाय, ूः तुत िकया जायेगा।

(दो) िकसी व् यिक्त को, िकसी अन् य व् यिक्त या फमर् की ओर से आवेद करने की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जावेगी जब तक िक वह आवेदन पऽ के साथ उस मुख् यत् यारनामे की, जो ऐसे व् यिक्त या फमर् द्वारा िनं पािदत िकया गया हो, जो उसे, उस व् यिक्त या फमर् की ओर से कायर् करने हेतु सशक् त करता हो, या उस फमर् के, िजसका िक भागीदार होने का दावा करता हो, रिजःशीकरण के ूमाण-पऽ की ूितिलिप संलग् न न कर दे, तथा खंडीय वन आिफसर के समक्ष मूलत: ूः तुत न कर दे।

(तीन) माम पंचायत या सहकारी सोसायटी इस सम् बन् ध में पािरत संकल् प की सम् यक् रूप से ूमािणत ूितिलिप संलग् न करते हुए आवेदन पऽ ूः तुत कर सकेगी;

परन् तु संकल् प की ऐसी ू मािणक ूितिलिप, मध् य ूदेश ः टेट शायबल को-आपरेिटव डेबलपमेन् ट कारपोरेशन की दशा में अपेिक्षत नहीं होगी।

(5) (एक) ऐसे ू त् येक आवेदन के साथ, कोषागार का चालान संलग् न होगा जो यह दशार्वेगा िक आवेदक द्वारा राजः व िनक्षेप (Revenue Deposit) के अधीन पाँच सौ रुपये का नगद िनक्षेप अिमम ूितभूितिनक्षेप (Security

Deposit) के रूप में सम् बिन्धत वन आिफसर के नाम िकया है। राजः व िनक्षेप करने के िलये चालान िकसी भी वन अफसर से ूाप् त िकया जा सकेगा।

(दो) ऊपर विणर्त अिमम ूितभूित, िनक्षेप के अितिरक् त आवेदक उपिनयम (1) के अधीन जारी की गई पूवोर्क् त सूचना में िविनिदर्ं ट की गई रकम की सीमा तक व् यिक्तगत शोध क्षमता (Solvency) का ूमाण-पऽ या ऐसा ूमाण-पऽ धारण करने वाला ः वतन् ऽ ूितभू (Independent Surety) का ूितभू बन् धनामा (Security Bond) ूः तुत करेगा और संलग् न करेगा :

परन् तु राज् य सरकार, माम पंचायत या सहकारी सोसायटी या मध् यूदेश ः टेट शायबल को आपरेिटव डेवलपमेन् ट कारपोरेशन को इस खण् ड के उपबन् धों से छूट दे सकेगी।

(तीन)आवेदक, आवेदन पऽ को तब तक ूत् याहृत (Withdraw) नहीं करेगा, जब तक िक आवेदन पऽ ः वीकार या अः वीकार करने वाले सक्षम ूािधकारी के आदेश पािरत न कर िदये गये हों या कोई अन् य व् यिक्त, माम पंचायत, या सहकारी सोसायटी या मध् य ूदेश ः टेट शायबल को आपरेिटव डेबलपमेन् ट कारपोरेशन को उस इकाई के िलए अिभकतार् के रूप में िनयुक् त न कर िदया गया हो। इस उपबन् ध का भंग करने पर खण् ड (एक) के अधीन जमा की गई ूितभूित िनक्षेप अिधहिरत (Foreited) हो जायेगा।

(6) राज् य सरकार िकसी भी आवेदन पऽ को, इस सम् बन् ध में कोई भी कारण बताये िबना ः वीकार या अः वीकार कर सकेगी। अिमम ू िितभूित िनक्षेप, उन आवेदकों को लौटा िदया जायेगा िजनके आवेदन पऽ अः वीकार कर िदये हों। अिभकतार् के रूप् में िनयुक् त िकये गये आवेदक को अिमम ूितभूित िनक्षेप, उपिनयम (8) के उपबन् धों के अधीन रखते हुए, उप िनयम 9 के अधीन आपेिक्षत ूितभूित िनक्षेप के ूित समायोिजत िकया जायेगा।

(7) इन िनयमों में अन् तिवर्ं ट िकसी बात के होते हुए भी, जहाँ राज् य सरकार की यह राय हो िक ऐसा करना समीचीन तथा आवँ यक है वहाँ वह उसके िलये िलिखत में अिभिलिखत िकये जाने वाले कारणों से, िकसी भी व् यिक्त, सहकारी सोसायटी, या माम पंचायत, मध् य ूदेश ः टेट शायबल को-आपरेिटव डेवलपमेन् ट कारपोरेशन को ूत् येक िविनिदर्ं ट वन उपज की एक या अिधक इकाईयों के िलये अिभकतार् या अिभकतार्ओं के रूप में िनयुक् त कर सकेगी।

(8) (एक) अिभकतार् के रूप में िनयुक् त िकये जाने पर, इस ूकार िनयुक् त िकया गया व् यिक्त या माम पंचायत या सहकारी सोसायटी, िजसके अन् तगर्त मध् य ूदेश शायबल को-आपरेिटव डेवलपमेन् ट कारपोरेशन भी आता है, िनयुिक्त का आदेश जारी िकये जाने से पन् िह िदन के भीतर 'ूारूप ख' में एक करार िन ं पािदत करेगा, िजसे िनं पािदत न करने की दशा में िनयुिक्त रद्द िकये जाने के दाियत् वाधीन होगी और इस ूकार से (िनयुिक्त के) रद्द हो जाने पर -

(क) अिमम ूितभूित िनक्षेप अिधरिहत (Forfeit) िकया जायेगा और,

(ख) अिभकतार्, िनयुिक्त रद्द िकये जाने के पिरणामः वरूप राज् य सरकार द्वारा उठाई गई हािन की, यिद कोई हो, पूितर् करने का दायी होगा उसकी संगणना िनम् नानुसार की जावेगी -

(A)सरकार को हािन।

(B)इकाई के िलये अिधसूिचत िविनिदर्ं ट वन उपज की माऽा तथा संमीहत तथा पिरदत् त की गई वन उपज की माऽा का अन् तर।

(C)माऽा की ूित इकाई दर, वह रकम होगी जो उस दर में से, िजस पर िक सरकार िविनिदर्ं ट वन-उपज बेचती है, बेता को िविनिदर्ं ट वन-उपज का पिरदान िकये जाने पर सरकार द्वारा माऽा की ूित इकाई पर िकये गये व् ययों के घटाने से शेष रहे।

हािन (A) = B × C

अथार्त् हािन उस रकम के बराबर होगी जो इकाई के िलए अिधसूिचत की गई माऽा से कम संमिहत तथा पिरदत् त की गई माऽा को, ऐसे अंक से गुणा करने से ूाप् त हो जो अंक वन-उपज के िवबय दर, तथा शासन द्वारा ऐसी वन-उपज के बेता को पिरदत् त िकये जाने के समय तक, माऽा की ूित इकाई पर िकये गये समः त व् यय के अन् तर के बराबर हो।

उदाहरण - वनोपज हरार् इकाई के िलये अिधसूिचत माऽा 500 िक्वंटल, संमहीत तथा बेता को ूदत् त माऽा 450 िक्वंटल।

बेता द्वारा ूित िक्वंटल िवबय दर रु. 100/- ू. िक्वंटल।

बेता को पिरदान होने तक का व् यय 25/- ूित िक्वंटल।

शासन को हािन - 50 × 75 = 3750/- रुपये।

(ग) यह हािन भू-राजः व की बकाया की भांित वसूली योग् य होगी।

(ग) (एक) िकसी िविशं ट इकाई के िलये इस ूकार िनयुक् त िकया गया अिभकत् तार्, करार पर हः ताक्षर करने के पूवर्, करार के िनबन् धनों तथा शतोर्ं के अनुसार एवं अिधनयम तथा इन िनयमों के उपबन् धों के अनुसार, अिभकरण के उिचत िनं पादन तथा सम् पादन के िलये ूितभूित के रूप में ऐसी िनम् नतम रािश जमा करेगा, जो

अभिकरण सूचना में िविनिदर् ट की जायेगी। ूितभूित की उपरोक् त रकम जमा करने में अभिकत् तार् के असमथर् रहने के िलये, इस शतर् के अधीन रहते हुए अनुज्ञात िकया जा सकेगा िक उसके द्वारा ूितभूित के रूप में इस ूकार जमा कराई रकम, इन िनयमों तथा करार के ूयोजनों के िलए, उन् हीं िनबन् धनों तथा शतोर्ं के अधीन रहते हुए होगी मानों ऐसी रकम ः वयं अभिकत् तार् द्वारा ही जमा की गई है।

(दो) यह ूितभूित िनक्षेप या तो नगदी में या ऐसे वचन पऽों (Promisory notes)के रूप में होगा िजसका िक इस ूयोजन के िलये मूल् यांकन, बाजार मूल् य से 5 ूितशत कम कर िदया जायेगा या मध् य ूदेश सरकार के िवत् त िवभाग के ज्ञापन ब. 2171-545/चार/आर.बी./तारीख 6 िसतम् बर 1962 के अनुसार िशड्यूल्ड बैंकों की गारण् टी या हेड पोः ट माः टर की मन्जूरी से सम् बिन्धत खण् डीय वन आिफसर को अन् तिरत िकये गये अभ् यपर्ण मूल् य पर डाकखाने के कैश सिटर्िफकेट, नेशनल सेिवंग् ज सिटर्िफकेट, दस वषीर्य शेजरी सेिवंग् ज िडपािजट सिटर्िफकेट, बारह वषीर्य नेशनल सेिवंग् ज सिटर्िफकेट के रूप मेंसम् बिन्धत खण् डीय वन आिफसर क नाम में राजः व िनक्षेप की शक् ल में होगा।(तीन) यह ूितभूित िनक्षेप, यथािःथित या तो पूणर्त: या अंशत: खण् डीय वन आिफसर द्वारा िविनिदर् ट वन उपज के कम संमह के िलये शािःत, ूितकर, नुकसान और िकन् हीं भी अन् य शोध् यों की, जो िक इन िनयमों तथा अिधिनयमों के उपबन् ध के अधीन वसूल योग् य हों, वसूली यिद कोई हो, के ूित समायोिजत की जावेगी और यिद खंडीय वन आिफसर द्वारा िलिखत में आदेश िदया जाये, तो अभिकत् तार् द्वारा ऐसी समः त कटौितयों की पूितर्, उस आशय की सूचना ूाप् त होने के पन् िह िदन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जायेगी।

(चार) यिद वसूल िकये जाने वाले सोध् य ूितभूित, िनक्षेप की रकम से अिधक हों तो अिधक होने वाली रकम जब तक िक उसकी पूित खण् डीय वन आिफसर की उस आशय की सूना की ूािप्त के पन् िह िदन के भीतर जमा न की जाये, भू-राजः व के बकाया की भाँित वसूल योग् य होगी।

(पाँच) यथािःथित, ूितभूित िनक्षेय या शेष रकम खंडीय वन आिफसर का यह समाधान हो जाने पर िक अभिकतार् की ओर से करार के िनबन् धनों तथा िनयमों तथा अिधिनयम के उपबन् धों के अधीन समः तआभारों तथा औपचािरकताओं का सम् यक् रूप से पालन िकया जा चुका है और यह भी िक उसकेऊपर कोई बकाया नहीं है, अभिकत् तार् केा या ऐसे व् यिक्त को िजसने िक अभिकत् तार् की ओर से उसक िनक्षेप िकया है, लौटा दी जायेगी।

(छ:) ऊपर विणर्त ूितभूित िनक्षेप के अितिरक् त अभिकत् तार्, व् यिक्तगत शोध् य क्षमता का ूमाण-पऽ या ऐसा ूमाण-पऽ धारण करने वाले ः वतन् ऽ ूितभू का ूितभूित बन् धनामा, उस सीमा तक, जो अभिकरण सूचना में िविनिदर् ट िकया गया हो, ूः तत करेगा।

(10) (एक) खंडीय वन आिफसर द्वारा, जब तक िक अन् यथा िनदेर्िशत न िकया जाये, अभिकत् तार्, िविनिदर् ट वन उपज का बय धारा (2) के खण् ड (ब) के उपखण् ड (दो) की मद (ख) तथा मद (ग) में विणर्त व् यिक्तयों से करेगा और वह सरकारी भूिम से िविनिदर् ट वन उपज का संमह उसके द्वारा खोले गये या खंडीय वन आिफसर के आदेश से खोले जाने वाले िडपो या िडपोज पर, अिधिनयम, करार तथा इन िनयमों के उपबन् धों के अनुसार करेगा। खण् डीय वन आिफसर समय-समय पर उसे इस सम् बन् ध में ऐसे समुिचत िनदेर्श दे सकेगा जो अिधिनयम, िनयमों तथा करार के उपबन् धों से असंगत न हो।

(दो) अभिकत् तर् िविनिदर् ट वन उपज की ऐसी क् वािलटी का संमह करेगा जो िक उपयोग या िविनमार्ण में कच् चे माल के रूप में उपयोग या व् यापार के िलये उिचत हों और जो अभिकरण सूचना में विणर्त हो। उपरोक् त कायर् के अितिरक् त अभिकतार्, यिद ऐसा अपेिक्षत िकया जाये, तो इस िवषय पर िदये गये अनुदेशों के अनुसार इकाई के भीतर ऐसा अन् य कायर् भी करेगा, जो िक िविनिदर् ट वन उपज के व् यापार के िलये आवँ यक तथा उससे सम् बद्ध हो।

(11) अभिकत् तार् बय की गई तथा संमहीत िविनिदर् ट वन उपज की सुरिक्षत अिभरक्षा (Safe custody) तथा भंडारकरण (Storage) के िलए उत् तरदायी होगा। उसकी क् वािलटी को उस समय तक, जब तक िक उसकी अिभरक्षा का सम् पूणर् ः टाक ऐसे आिफसर या व् यिक्त को, जो िक िनदेर्िशत िकया जावे, तथा ऐसी रीित में, जो िक करार में िविहत की गई है, पिरदत् त न कर िदया जावे, िकसी भी क्षय को रोकने के िलये समः त आवँ यक पूवार्वधािनयाँ बरतेगा। अभिकत् तार् अपनी रक्षा के दौरान माऽा की िकसी कमी या क् वािलटी के क्षय के िलये व् यिक्तगत रूप से उत् तरदायी होगा और राज् य सरकार द्वारा इस कारण उठाई गई, और उसके द्वारा िनधार्िरत की गई िकसी भी हािन की पूितर् अभिकत् तार् द्वारा की जायेगी।

(12) अभिकतार् राज् य शासन को छोड़कर, अन् य वन उपज उगाने वाले से िविनिदर् ट वन उपज का बय, उन दरों पर, नकद भुगतान करके करेगा जो िक ऐसे बय के िलये राज् य सरकार द्वारा अिधसूिचत की गई हो और उन मजदूरों को, िजन् होंने सरकारी वनों और भूिमयों से िविनिदर् ट वन उपज संमहीत की हो, वन उपज की ूािप्त पर, संमहण ूभार के रूप में राज् य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधािरत पदों से नकदी या वः तु िविनमय के माध् यम से िकसी वः तु के रूप में जैसा िक मजदूरों द्वारा चाहा जाये, तत् क्षण भुगतान करेगा।

(13) अभिकत् तार् ऐसा लेखा रखेगा, तथा ऐसी िनयतकािलक िववरिणयाँ, जो िक खंडीय वन आिफसर या उसके द्वारा ूािधकृत िकसी अन् य आिफसर को ूः तुत करेगा।

(14) पूववर्तीर् उपबन् धों की िकसी भी बात के सम् बन् ध में यह नहीं समझा जायेगा िक वह अिभकत् तार् को उस इकाई में, िजसके िक िलये वह अिभकत् तार् िनयुक् त िकया गया है, िविनिदर्ं ट वनोपज के बय तथा संमह का अनन् य अिधकार (Exclusive right) ूदान करती है, और राज् य सरकार को उस इकाई में या तो ः वयं या उसके द्वारा उस सम् बन् ध में िलिखत ूािधकृत आिफसर द्वारा िविनिदर्ं ट वनोपज के बय तथा संमह का अिधकार होगा और उस सीमा तक अिभकतार् का दाियत् व कम कर िदया जावेगा।

(15) अिभकत् तार्, उसके द्वारा इकाई के भीतर िनयोिजत िकये गये व् यिक्तयों को खंडीय वन आिफसर द्वारा अनुमोिदत, एक पिरपऽ (Identity Card) या अन् य साधन, िजसे सरलता से पिहचाना जा सके, देगा।

4. िविनिदर्ं ट वन उपज के वाः तिवत उपयोग या उपभोग या िनः तार के िलये पिरवहन - (1) कोई भी व् यिक्त व् यिक्तशः (Individually) धारा 5 की उपधारा (2) के खण् ड (ख) के अधीन िविनिदर्ं ट वन उपज को ऐसे उपज का बय ः थान से ऐसे ः थान को, जहाँ िक ऐसी उपज उसके (व् यिक्त के) वाः तिवक उपयोग या उपभोग के िलये आपेिक्षत हो, एक बार में िनम् निलिखत माऽा में पिरवहन कर सकेगा, अथार्त्

िविनिदर्ं ट वन उपज (1)	माऽा (2)
(एक) कुल् लू गोंद	एक सौ माम
(दो) (धावड़ा गोंद, खैर गोंद, बबूल गोंद, सलई रेिजन	एक िकला माम
(तीन)महुआ के फूलनगर िनगम या नगरपािलका की सीमाओं के भीतर पिरवहन हेतु	पाँच िकलो माम
नगरपािलका या नगर िनगम की (चार)सीमाओं के बाहर पिरवहन हेतु	पचहत् तर िकलो माम
(पाँच)महुआ बीज	[1]पचास िकलो माम
(छः)हरार्	पाँच िकलो माम
(सात) किचरया	एक िकलो माम
साल के बीज	[2]पाँच िकलो माम

(2) िकसी िविनिदर्ं ट वन उपज के सम् बन् ध में िकसी वन में िनः तार का अिधकार रखने वाला कोई भी व् यिक्त, धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन ऐसी उपज का अपने घरेलू उपयोग या उपभोग के िलए उपिनयम (1) में िविनिदर्ं ट माऽा पिरवहन कर सकेगा।

5. पिरवहन अनुज्ञा-पऽ - (1) धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (क), (ख) तथा (घ) के उपबन् धों के अधीन रहते हुए, िविनिदर्ं ट वन उपज का पिरवहन िनम् निलिखत ूकार के अनुज्ञा-पऽों द्वारा िविनयिमत होगा और जो उसमें से ूत् येक के सामने विणर्त ूािधकािरयों द्वारा जारी िकये जावेंगे।

पिरवहन के ूकार (1)	अनुज्ञा-पऽ जारी करने वाला अिधकारी (2)
(एक)संमह िडपो से भंडार गोदाम तक पिरवहन हेतु (पी/1)	खण् डीय वन आिफसर या उसके द्वारा िलिखत में ूािधकृत कोई आिफसर या व् यिक्त।
(दो)राज् य के बाहर पिरवहन हेतु पी/2	खण् डीय वन आिफसर [3]या उनके द्वारा िलिखत में ूािधकृत कोई अन् य अिधकारी
(तीन)मद (एक) या (दो) में विणर्त के (अितिरक् त और राज् य के भीतर पिरवहन हेतु (पी/3)	खंडीय वन आिफसर या उसके द्वारा िलिखत में ूािधकृत कोई आिफसर और/या अनुज्ञप् त िवबेता, िविनिदर्ं ट की गई माऽा तथा कालाविध तक।

परन् तु खंडीय वन आिफसर, यिद उसके पास यह िवँ वास करने का कारण हो िक उसके द्वारा अनुज्ञा-पऽ जारी िकये जाने के िलये ूािधकृत आिफसर अथवा व् यिक्त उपयुक् त नहीं है, तो वह ऐसा ूािधकरण तुरन् त रद्द कर देगा।

---

1. म.ू. वन िवभाग अिध. ब. 1458-2088-10-3-71 राजपऽ पृष्ठ 1912 पर ूकािशत के अनुसार पाँच से पचास िक. मा. िकया।
2. म.ू. वन िवभाग अिध. ब. 31-1-75-111-1 दस िद. 31-5-1976 द्वारा संशोिधत।

(2) पूवोर्क् त ूकारों में िकसी भी ूकार का पिरवहन अनुज्ञा-पऽ जारी करने के िलय आवेदन ूारूप 'ग' में होगा, और यथािःथित, खंडीय वन आिफसर या ूािधकृत आिफसर या व् यिक्त को ूः तुत िकया जायेगा :

परन् तु खंडीय वन आिफसर या उसके द्वारा ूािधकृत कोई आिफसर, यिद उसके पास यह िवँ वास करने

का कारण है, िक िविनिदर्ं ट वन उपज, िजसके िक सम् बन् ध में आवेदन िदया गया है, अवैध रूप में ूाप् त की गई है या अनुिचत रूप से संमहीत की गई है तो आवेदक को सुनवाई का ऐसा अवसर देने के पँ चात् , जैसा िक वह पिरिःथित में उिचत समझे, िलिखत में आदेश द्वारा ऐसा आवेदन पऽ को अः वीकृत कर सकेगा।

(3) समः त ूकार के अनुज्ञा-पऽ िनम् निलिखत शतोर्ं के अध् यधीन होंगे -

(क) िविनिदर्ं ट वनोपज के ूत् येक ूेषण (Consignment) िकसी भी पिरवहन साधन द्वारा ले जाते समय, सम् बिन्धत ूकार का पिरवहन अनुज्ञा-पऽ उसके साथ होगा।

(ख) िविनिदर्ं ट वन उपज का पिरवहन, केवल उस मागर् द्वारा ही िकया जायेगा जो अनुज्ञा-पऽ में िविनिदर्ं ट हो और जाँच पड़ताल के िलये उन् हें ऐसे ः थान या ः थानों पर पेश िकया जायेगा जो िक उसमें िविनिदर्ं ट िकया/िकए जाये।

(ग)

खंडीय वन आिफसर या इस सम् बन् ध में उसके द्वारा ूािधकृत िकये गये आिफसर की िलिखत अनुज्ञा के िबना, सूयार्ः त के पँ चात् या सूयार्ः त के पूवर् िकसी भी समय िविनिदर्ं ट वन उपज का पिरवहन नहीं िकया जायेगा।

(घ) अनुज्ञा-पऽ ऐसी कालाविध के िलए िविधमान् य होगा जो िक उसमें िविनिदर्ं ट की जाये।

(ङ) पिरवहन अनुज्ञा-पऽ ऐसी अनुज्ञा जारी करने वाले या उससे उच् च ौेणी के आिफसर द्वारा रद्द िकये जो योग् य होगा, यिद यह िवँ वास करने का कारण है िक उसक दुरुपयोग िकया गया है, या िकये जाने की सम् भावना है।

(च) समः त पिरवहन अनुज्ञा-पऽ, िविनिदर्ं ट वन उपज के पिरवहन करने के पँ चात् , या उसमें दी गई कालाविध का अवसान होने के पँ चात् , जो भी पूवर्वतीर् हो, पन् िह िदन के अन् दर सामीपः थवन क्षेऽपाल(Forest Ranger) के पद के या उससे उच् च पद के वन आिफसर को, अिभः वीकृित ू ाप् त करने के पँ चात् वापस कर िदये जावेंगे।

6. िविनिदर्ं ट वन उपज के उगाने वाले का रिजःशीकरण - (1) राज् य सरकार को छोड़कर िविनिदर्ं टवन उपज का ूत् येक उगाने वाला, यिद उसके द्वारा उगाई गई िविनिदर्ं ट वन उपज की माऽा नीचे िविनिदर्ं ट की गई माऽा से बढ़ने की सम् भावना हो तो ः वयं को धारा 10 के अधीन रिजःशीकृत करायेगा -

िविनिदर्ं ट वन उपज | माऽा

1. सलाई रेजन (Salai Rasin) या चीड़ गोंद, | एक िकलोमाम

16. 2. 3. 4. 5. कुल् लू गोंद, धावड़ा गोंद, खैर गोंद, बबूल गोंद, महुआ फूल हरार् कचरी सालबीज दो िक्वंटल एक िक्वंटल दो िक्वंटल पचास िकलोमाम

पचास िकलोमाम

1. अिधसूचना ब. F/31-1-75-III-I/X िद. 31-5-75 पृष्ठ 1459 पर ूकािशत द्वारा जोड़ी गई।

(2) िविनिदर्ं ट वन उपज के उगाने वाले के रूप में रिजःशीकरण का आवेदन ूारूप 'घ' में होगा और रेन् ज आिफसर के, िजसकी अिधकािरता के भीतर उगाने वाले की भूिम, िजस पर िक िविनिदर्ं ट वन उपज के पौधे उगते हों, िःथत है, समक्ष भरा जायेगा। रेन् ज आिफसर सम् यक् सत् यापन के पँ चात् , आवेदन पऽ को तीस िदन के भीतर, उस खण् डीय वन आिफसर या वन मण् डलािधकारी के कायार्लय में पदः थ संलग् न अिधकारी के समक्ष, िजसे वन मण् डलािधकारी ने इस िवषय में ूािधकृत िकया हो, के अमिषत करेगा जो ऐसी जाँच करने के पँ चात् , जैसा िक वह आवँ यक समझे, ूारूप 'ङ' में रिजःशीकरण का ूमाण-पऽ मन् जूर कर सकेगा या आवेदन-पऽ को उसके िलए कारण अिभिलिखत करने के पँ चात् नामंजूर कर सकेगा।

(3) एक बार जारी िकया गया रिजःशीकरण का ूमाण-पऽ उस समय तक िविधमान् य रहेगा जब तक िक वह उप-खंडीय वन आिफसर या वन मण् डलािधकारी के कायार्लय में पदः थ संलग् न अिधकारी, िजसको िक वन मण् डलािधकारी ने इस िवषय में ूािधकृत िकया गया हो, के द्वारा अिभिलिखत िकये जाने वाले कारणों से रद्द या रूपभेिदत (modified) न िकया जाये या उस समय तक िविधमान् य रहेगा, जब तक िक आवेदक उस भूिम को, िजसके सम् बन् ध में रिजःशीकरण का ूमाण-पऽ अिभूाप् त िकया गया है, दखल में रखता हो, उनमें से जो पूवर्तर हो।

(4) यिद ूमाण-पऽ गुम हो जाये या िवकृत हो जाये उसकी (ूमाण-पऽ की) ूमािणत ूितिलिप एक रूपया चुकाने पर उप-खंडीय आिफसर, या वन मण् डलािधकारी के कायार्लय में पदः थ संलग् न अिधकारी, िजसे वनमण् डलािधकारी द्वारा इस िवषय में ूािधकृत िकया गया हो, से ूाप् त की जा सकेगी।

(5) िविनिदर्ं ट वन उपज का ूत् येक रिजःशीकृत उगाने वाला ूत् येक वषर् 1 जनवरी को सम् बिन्धत रेन् ज आिफसर से ूारूप 'च' में एक लेखा पचीर् ूाप् त करेगा और उक् त लेखा पचीर्, िविनिदर्ं ट वन उपज को िबबी के िलये ूः तुत करते समय िडपो में पेश की जायेगी और उगाने वाले की ऐसी िविनिदर्ं ट वन उपज बय करने के िलए ूािधकृत व् यिक्त, उसके द्वारा बय की गइर् िविनिदर्ं ट उपज की माऽा की ूिविष्ट उक् त पचीर् में करेगा।

(6) िविनिदर्ं ट वन उपज का ऐसा ूत् येक उगाने वाला जो रिजःशीकरण का ूमाण-पऽ धारण करता हो, उसके रिजःशीकरण के ूमाण-पऽ मन् जूर करने वाले आिफसर द्वारा िविहत रूप में उसके दशार्ई जाने वाली तारीख को ूः तुत करेगा। िविहत तारीख तक उपरोक् त लेखा ूेिषत न िकये जाने की दशा में रिजःशीकरण ूमाण-पऽ रद्द िकये जाने के दाियत् वाधीन होगा।

7. अः वीकृत िविनिदर्ं ट वन उपज के बारे में जाँच की ूिबया - (1) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन िशकायत ूाप् त होने पर जाँच करने वाला आिफसर, यथा-सम् भव शीय, सम् बिन्धत पक्ष या पक्षों को जाँच करने के िलए िनयत िकये गये ः थान, तारीख तथा समय पर ूज्ञािपत (Intimate) करेगा।

(2) िनयम तारीख पर या िकसी पँ चात् वतीर् तारीख (Subsequent date) पर िजसके िलये जाँच ः थािगत की जावे, ऐसा आिफसर इन पक्षों या उसके सम् यक् रूप से ूािधकृत िकये गये ूितिनिधयों की, जो िक उसके समक्ष उपिःथत हों, सुनवाई करने के पँ चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पँ चात् , जैसी िक वह आवँ यक समझे, धारा 9 की उपधारा (3) या (4) के अनुसार आदेश पािरत करेगा, जैसे िक वह उिचत समझे।

(3) यिद पक्षकार या पक्षकारगण, जैसी भी िःथित हो, या तो ः वयं, या अपने सम् यक् रूप सेूािधकृतितिनिधयों के माफर्त उपिःथत न हों, जो जाँच आिफसर, ऐसी जाँच करने के पँ चात् जैसी वह आवँ यक समझे, एकपक्षीय (exparte) िनणर्य करेगा :

परन् तु यिद जाँच आिफसर का समाधान हो जाये िक पक्षकार या पक्षकारगण के उपिःथत न होने का पयार्प् त कारण था, तो वह ऐसी और जाँच करने के पँ चात् जैसी वह उिचत समझे, एकपीक्षीय आदेश को िनं ूभावी करते हुए, यथोिचत आदेश पािरत कर सकेगा।

(4) कोई भी ूितकर, िजसके चुकाये जाने का आदेश जाँच के पिरणामः वरूप िदया गया हो, या कोई भी संमहण सम् बन् धी ूभार, िजसके चुकाये जाने के िलये धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन आदेश िदया गया हो, सम् बिन्धत पक्ष को संसूिचत िकये जाने से, एक मास के भीतर, चुकाया जायेगा।

8. िविनिदर्ं ट वन उपज के िविनमार्ताओं, व् यापािरयों, उपभोक् ताओं का रिजःशीकरण - (1) ू त् येक िविनमार्ता जो िविनिदर्ं ट वन उपज का कच् चे माल के रूप में उपयोग करता है तथा ू त् येक व् यापारी या उपभोक् ता िजसका यथािःथित वािषर्क उपयोग, आवँ यकता, या उपभोग नीचे दी गई अनुसूची में दी गई माऽा से अिधक हो, िविनिदर्ं ट वन उपज के, अपने ः टाक की घोषणा ूारूप (छ) में करेगा और नीचे दी गई अनुसूिच में िविनिदर्ं ट की गई वािषर्क रिजःशीकरण फीस का संदार करने के पँ चात् इसमें इसके पँ चात् उपबिन्धत रीित में, ूत् येक िविनिदर्ं ट वन उपज के िलये, ः वयं पृथक् रूप से रिजःशीकृत करावेगा।

वािषर्क रिजःशेशन फीस की तथा उस माऽा की िजससे अिधक के िलये रिजःशीकरण आवँ यक होगा

	फीस		माऽा	
1. कुल् लू का गोंद 2. धावड़ा गोंद 3. सालई रेिजन िचड़गोंद 4. खैर; बबूल का गोंद 5. महुआ फूल 6. महुआ बीज 7. हरार् तथा कचिरया	100/- रुपये50/- रुपये 50/- रुपये 200/- रुपये100/- रुपये100/- रुपये50/- रुपये	5/- रुपये 5/- रुपये 5/- रुपये 5/- रुपये 5/- रुपये 15/- रुपये5/- रुपये	1 □ िक.मा. 1 □ िक.मा. 1 □ िक.मा. 1 □ िक.मा. 1 □ िक.मा.	1 िक.मा. 5 िक.मा. 5 िक.मा. 5 िक.मा. 20 िक.मा. 15 िक.मा. 5 िक.मा.
28. साल बीज	100/- रुपये	2लुप् त	1 िक.मा.	2लुप् त

(2) धारा 11 के अधीन रिजःशीकरण ूारूप 'ज' में होगा और खंडीय वन आिफसर के समक्ष ूः तुत िकया जायेगा िजसकी अिधकािरता के भीतर, िविनिदर्ं ट वन उपज का िविनमार्ता व् यापारी या उपभोक् ता िनवास करता हो, या उसके कारबार का मुख् य ः थान िःथत हो। यिद िविनमार्ता, व् यापारी या उपभोक् ता, मध् य ूदेश राज् य के बाहर िनवास करता हो, तो वह अपना आवेदन पऽ मध् य ूदेश के िकसी भी खंडीय वन आिफसर को ू ः तुत कर सकेगा। वािषर्क रिजःशीकरण की फीस अिमम में जमा की जावेगी और इस साआ य की, िक रकम जमा कर दी गई है, ूितिलिप रिजःशीकरण के आवेदन-पऽ के साथ संलग् न की जायेगी।

---

(1) (2) म.ू. शासन, वन िवभाग अिध. ब. 1-1-75-III-I-X-िद. 31-5-76 से संशोिधत।

खंडीय वन आिफसर या उसके द्वारा िलिखत में ूािधकृत िकया कोई आिफसर, ऐसी जाँच करने के पँ चात् , जैसी िक वह आवँयक समझे, ूारूप 'झ' में रिजःशीकरण ूमाण-पऽ ूदान कर सकेगा या आवेदन-पऽ को, उसके िलये कारण अिभिलिखत करने के पँ चात् अः वीकृत कर सकेगा।

(3) रिजःशीकरण उस कैलेन् डर वषर् के िलये िविधमान् य होगा िजसके िलये रिजःशीकरण का ूमाण-पऽ जारी िकया गया हो।

(4) ि‍विनिदर्् ट वन उपज का ूत् येक रिजःशीकृत ि‍विनमार्ता, व् यापारी तथा उपभोक् ता, ि‍विनिदर्् ट वन उपज के लेखाओं का रिजः टर रखेगा, और इन लेखाओं की ि‍ववरणी, वह खंडीय वन आिफसर को ऐसे ूारूप में समय-समय पर ूः तुत करेगा जो िक आिफसर द्वारा ि‍विहत िकये जायें।

(5) यिद ूमाण-पऽ गुम हो जाये या ि‍वबत हो जाये तो उस ूमाण-पऽ की ूमािणत ूितिलिप खंडीय वन आिफसर को ूत् येक ूमाण-पऽ के िलये रुपये पाँच चुकाने पर ूाप् त की जा सकेगी।

(6) ऐसी ि‍विनिदर्् ट वन उपज के ऐसे िनमार्ता, व् यापारी या उपभोक् ता का रिजःशीकरण ूमाण-पऽ, िजसने िक अिधिनयम, इन िनयमों या राज् य के साथ िकये गये करार की शतोर्ं को भंग िकया हो, िजसके पिरणामः वरूप या तो उसे अिधिनयम की धारा 16 के अधीन दिण्डत िकया गया हो, या उसका करार पयर्विसत (terminated) कर िदया गया हो, खंडीय वन आिफसर द्वारा रद्द(Cancelled) िकये जाने के दाियत् वाधीन होगा और, यथािःथित, ऐसे ि‍विनमार्ता व् यापारी या उपभोक् ता का, ऐसी और कालाविध के िलये, जो िक तीन वषर् तक हो सकती है, रिजःशीकरण अः वीकृत िकया जा सकेगा :

परन् तु यिदसम् बिन्धत ि‍विनिदर्् ट वन उपज का ि‍विनमार्ता, व् यापारी या उपभोक् ता, उपरोक् त आदेश से व् यिथत हो, तो वह आदेश की तारीख से तीस िदन के भीतर, क्षेऽीय वन संरक्षक को, अपील कर सकेगा :

परन् तु, यह और भी, िक क्षेऽीय वन संरक्षक, िलिखत में अिभिलिखत िकये जाने वाले पयार्प् त कारणों से पूवर्वतीर् परन् तुक की कालाविध की समािप्त के पँ चात् अपील महण कर सकेगा।

9. ि‍वबय ूमाण-पऽ - राज् य सरकार, या उसका आिफसर या अिभकतार् जो बेता को ि‍विनिदर्् ट वन उपज का ि‍वबय या पिरदान करता है, उसे पारूप 'ञ' में ि‍वबय ूमाण-पऽ ूदान करेगा। िकसी ऐसे व् यिक्त से, जो िक यह दावा करे िक उसने धारा 12 के अधीन राज् य सरकार से ि‍विनिदर्् ट वन उपज का बय िकया है, िकसी पुिलस या वन आिफसर द्वारा माँग िकये जाने पर अपने दावे के समथर्न में ऐसा ूमाण-पऽ पेश करेगा, िजसके पेश वन करने की दशा में उसका दावा ूितमहीत नहीं िकया जावेगा और ऐसा ः टाक िजसके सम् बन् ध में उसके राज् य सरकार से बय िकये जाने का दावा िकया है, यिद ि‍वबय ूमाण-पऽ द्वारा समिथर्त न हो तो वह राज् य सरकार की सम् पित्त समझी जायेगी और पुिलस या वन आिफसर द्वारा उसे कब् जे में िलया जा सकेगा :

परन् तु यिद ऐसा व् यिक्त, खंडीय वन आिफसर के समक्ष, राज् य सरकार से ऐसा ः टाक बय िकये जाने के सम् बन् ध में, पुिलस या वन आिफसर द्वारा ऐसी उपज को कब् जे में लेने के पन् िह िदन के अन् दर, साआ य ूः तुत करे तो वह ः टाक खंडीय वन आिफसर द्वारा छोड़ िदया जावेगा।

10. ि‍विनिदर्् ट वन उपज के फुटकर ि‍वबय के िलये अनुज्ञिप्त की मन् जूरी - (1) कोई ऐसा व् यिक्त, जो ि‍विनिदर्् ट वन उपज के फुटकर ि‍वबय के कायर् में अपने को लगाने का इच् छुक हो इसमें इसके पँ चात् उपबिन्धत रीित में अनुज्ञिप्त ूाप् त करेगा।

(2) धारा 13 के अधीन अनुज्ञिप्त के िलये आवेदन ूारूप "ट" में होगा, जो ूत् येक ूारूप के िलये, एक रुपये की देनगी पर खंडीय वन आिफसर के कायार्लय से ूाप् त िकया जायेगा। ूत् येक ि‍विनिदर्् ट वन उपज के िलये पृथक् आवेदन पऽ आपेिक्षत होगा।

(3) आवेदन-पऽ, खंडीय वन आिफसर या उसके राजपिऽत सहायक के समक्ष ूः तुत िकया जावेगा जो ऐसी जाँच कराने के पँ चात् , जैसी िक वह उिचत समझे या तो आवेदन-पऽ को उसके िलये कारण अिभिलिखत करने के पँ चात् अः वीकृत कर सकेगा या आवेदक को इन िनयमों के अधीन, ि‍विहत वािषर्क अनुज्ञिप्त फीस जमा करने के िलये िनदेर्श दे सकेगा।

(4) वािषर्क अनुज्ञिप्त फीस, आवेदन द्वारा कैलेन् डर वषर् के दौरान, व् यापार िकए जाने के िलये अपेिक्षत ि‍विनिदर्् ट वन उपज की माऽा पर आधािरत ि‍वसपीर्मान (Sliding scale) से सूची में दी गई तािलका के अनुसार होगी।

महुआ के फूल (माऽा िक्वंटल में)	महुआ के बीज (माऽा िक्वंटल में)	हरार्, कचिरया (माऽा िक्वंटल में)
(1)	(2)	(3)
100 िक्वंटल तक 500 िक्वंटल तक 1000 िक्वंटल तक 1000 िक्वंटल से अिधक	50 िक्वंटल तक 250 िक्वंटल तक 500 िक्वंटल तक 500 िक्वंटल से अिधक	100 िक्वंटल तक 500 िक्वंटल तक 1000 िक्वंटल तक 1000 िक्वंटल से अिधक
कुल् लू, खैर, धावड़ा, बबूल गोंद व सालई रेिजन (माऽा िक्वंटल में)	1साल (माऽा िक्वंटल में)	वािषर्क अनुज्ञिप्त (फीस रुपये में)
(4)	(5)	(6)

50 िक्वंटल तक	50 िक्वंटल तक	5/- रुपये
250 िक्वंटल तक	250 िक्वंटल तक	10/- रुपये
500 िक्वंटल तक	500 िक्वंटल तक	15/- रुपये
500 िक्वंटल से अिधक	500 िक्वंटल से अिधक	100/- रुपये

(5) आवेदक खंडीय वन आिफसर या उसके राजपिSत सहायक द्वारा िनदेर्िशत िकए अनुसार वािषर्क फीस भेजेगा और ऐसे आदेश पािरत िकए जाने के सात िदवस के भीतर यह साआ य, िक रकम जमा कर दी है, पेश करेगा।

(6) वा िषर्क फीस की रकम जमा िकये जाने के सम् बन् ध में साआ य पेश करने पर खंडीय वन आिफसर या उसका राजपिSत सहायक ूारूप "ठ" में अनुज्ञिप्त मंजूर करेगा। एक या अिधक िविनदर्ं ट वन उपज के िलये एक अनुज्ञिप्त मंजूर की जा सकेगी।

(7) ूत् येक अनुज्ञिप्तधारी िविनदर्ं ट वन उपज के लेखाओं का रिजः टर रखेगा और सम् बिन्धत रेन् ज आिफसर को ः टाक की िववरणी ऐसे ूारूप में और ऐसी तारीखों को, जो िक वन संरक्षक, वन उपज भोपाल द्वारा िविहत की जाये, ूः तुत करेगा।

(8) यिद अनुज्ञिप्त गुम हो जाये या िवकृत हो जाये तो उसकी ूमािणत ूितिलिप खंडीय वन आिफसर या उसके राजपिSत सहायक से ूत् येक ूमाण-पS के िलये पाँच रूपये चुकाने पर ूाप् त की जा सकेगी।

(9) िविनदर्ं ट वन उपज के ऐसे अनुज्ञिप्तधारी की अनुज्ञिप्त, िजसने िक अिधनियम, इन िनयमों या राज् य सरकार के साथ िकये गये करार की शतोर्ं को भंग िकया हो, िजसके पिरणामः वरूप उसको धारा 16 के अन् तगर्त दिण्डय िकया गया हो या उसका करार पयर्वसत (Terminate) कर िदया गया हो, खंडीय वन आिफसर या उसके राजपिSत सहायक द्वारा रद्द िकये जाने के दाियत् वाधीन होगी और ऐसे व् यिक्त को, ऐसी और कालाविध के िलये जो तीन वषर् तक की हो सकती है, अनुज्ञिप्त अः वीकृत की जा सकेगी :

परन् तु यिद सम् बिन्धत िविनदर्ं ट वन उपज का अनुज्ञिप्तधारी, उपरोक् त आदेश से व् यिथत हो, तो वह राजपिSत सहायक द्वारा अनुज्ञिप्त रद्द िकये जाने की दशा में खण् डीय वन आिफसर को तथा खंडीय वन आिफसर द्वारा रद्द िकये जाने की दशा में क्षेSीय वन संरक्षक को, आदेश की तारीख से तीस िदन के भीतर अपील कर सकेगा :

परन् तु यह भी िक ऐसा अपीलीय ूािधकारी, िलिखत में अिभिलिखत िकये जाने वाले पयार्प् त कारणों से, कालाविध की समािप्त के पँ चात् भी अपील को महण कर सकेगा।

(10) अनुज्ञिप्तधारी द्वारा, फुटकर िवबय के िलये आपेिक्षत िविनदर्ं ट वन उपज की माSा का बय, सरकार से या उसके ूािधकृत आिफसर से या अिभकतार् से िकया जायेगा।

(11) अनुज्ञिप्तधारी िविनदर्ं ट वन उपज की पृथक्-पृथक् व् यिक्तयों को फुटकर में नीचे िविनदर्ं ट की गई माSा तक िवबय करेगा :

---

1. मध् य ूदेश वन िवभाग अिध. ब. फा./31-1-75-III-TI-X िदनांक 31-5-76 (राजपS िदनांक 31-5-76 से साल बीज जोड़ा गया।

िविनदर्ं ट वन उपज	माSा	िरमाकर्
1. कुल् लू गोंद 2. धावड़ा, खैर, बबूल का गोंद या सलाई रेिजन (चीड़ का गोंद) 3. महुआ के फूल 4. महुआ बीज 5. हरार् कचिरया 1 6. साल बीज	एक सौ माम एक िकलोमाम पाँच िकलोमाम पचहत् तर िकलोमाम पाँच िकलोमामपाँच िकलोमामपाँच िकलोमाम	नगर पािलका या नगर की सीमा के भीतर पिरवहन। नगरपािलका या नगर िनगम की सीमा के बाहर पिरवहन हेतु। ू

ारूप "क"

(िनयम 3(2) देिखये)

अिभकत् तार् के रूप में िनयुिक्त हेतु आवेदन-पS

1. आवेदक का तथा उसके िपता का पूरा नाम ....(फमर् के मामले में फमर् के भागीदारों तथा और मुख् यतारनामा धारण

करने वालों के नाम)
2. वृित्त ....
3. पूरा पता ....
4. कारबार का/के ः थान ....
5. िविनिदर् ट वन उपज का पूवर् अनुभव यिद कोई ....
हो तथा संकायर् का/के क्षेऽ।
6. िविनिदर् ट वन उपज की वह माऽा जो गत तीन : ....
वषर् के दौरान एकिऽत की गई हो और िजसकाव् यवसाय िकया हो। ू त् येक वषर् संकायर् क्षेऽ ू त् येकिविनिदर् ट वनोपज के िलए अलग-अलग दशार्यें।
7. िनजी सम् पित्त के ब् यौरे ....
8. वह इकाई िजसके अिभकरण के िलये आवेदन िकया है ....
9. वह िविनिदर् ट वन उपज िजसके िलये अिभकरण िकया है .... 10. दस रुपये आवेदन-फीस चुकाने का साआ य ....
11. पाँच रुपये अिमम ूितभूित िनक्षेप के संदाय का साआ य .... 12. िनयम 3(5) के अनुसरण में व् यिक्तगत शोधक्षमता का ....
ू माण-पऽ या ूितभू।

घोषणा

मैं/हम .... एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं िक मैंने/हमने मध् य ूदेश वन उपज (व् यापार िविनयमन) अिधिनयम, 1969 तथा उसके अधीन बनाये गये अिधिनयम िनयमों के उपबन् धों को तथा सूचना में विणर्त की गई अिधकरण की शतोर्ं को पढ़ िलया है तथा समझ िलया है और मैं/हम उनका पालन करने का करार करता हूँ/करते हैं। मैने/हमने इकाई ब. .... का ः वयं िनरीक्षण िकया है। यिद मुझे/हमें विणर्त इकाई के िलए अिभकतार् िनयुक् त कर िदया जाये तो मैं/हम वन उपज की वह माऽा जो िक .... से कम नहीं होगी, िविनिदर् ट उपज के उगाने वालों से बय करने तथा सरकारी भूिम से संमहीत करने और पिरदत् त करने, दोनों का भार अपने ऊपर लेता हूँ/लेते हैं, मैं/हम िनयुिक्त आदेश के जारी होने की तारीख से 15 िदन के भीतर, िनयमों के अधीन िविहत िकये गये ूारूप में मध् य ूदेश शासन के साथ करार िनं पािदत करूँगा/करेंगे तथा ऐसा करने की चूक करने पर मेरे/ह मारा ूितभूित िनक्षेप अिधहिरत िकया जा सकेगा और मेरी/हमारी िनयुिक्त रद्द होने के पिरणाम ः वरूप शासन द्वारा उठाई गई हािन, यिद कोई हो, भूराजः व के बकाया की भांित वसूल की जा सकेगी। और ऐसी हािन, िनयम 3 के उपिनयम (8) के अधीन िविहत रीित से संगिणत की जायेगी।[1]

...........................अिभकतार् के हः ताक्षर

---

1. म.ू. शासन की अिधसूचना ब. 2017/3079/दस/3-1-74 जो 17-5-75 के राजपऽ में पृष्ठ 1258 पर ूकािशत हुई के अनुसार संशोिधत।

ारूप "ख"
(िनयम 3(8) देिखये)
अिभकत् तार् का करारनामा

यह करार आज तारीख .... माह .... सन् .... ू थम पक्ष .... के माफर्त कायर् करते हुए मध् य ूदेश के राज् यपाल (िजन् हें इसमें इसके पँ चात् राज् यपाल कहा गया है, िजस अिभव् यिक्त के अन् तगर्त उसके पद मे उत् तरवतीर् आते हैं) तथा िद्वतीय पक्ष ौी/मेससर् .... आत् मज .... िनवासी .... तहसील .... िजला (िजन् हें इसमें इसके पँ चात् अिभकत् तार् कहा गया है, िजस अिभव् यिक्त के अन् तगर्त उनके वािरस, उत् तरािधकारी, ू ितिनिध, तथा समनुदेिशती आते हैं) के मध् य िकया जाता है।

चूँिक विनिदर् ट वन उपज का व् यापार मध् य ूदेश वन उपज (व् यापार िविनयमन) अिधिनयम 1969 (ब. 9, वषर् 1969), तथा उसके अधीन बनाये गये िनयमों के उपबन् धों द्वारा िविनयिमत िकया गया है, और चूँिक उक् त अिधिनयम की धारा 4(1) के अधीन िविभन् न इकाइयों में इस ूयोजन के िलये अिभकत् तार्ओं की िनयुिक्तयाँ िकया जाना है,

और चूँिक राज् यपाल, अिभकत् तार् की ूाथर्ना पर उसे, इसके पँ चाित् दये गये िनबन् धनों एवं शतोर्ं पर .... वन खण् ड में इकाई बमांक .... के िलए अिभकत् तार् के रूप में िनयुक् त करने के िलए सहमत हो गया है -

अतएव यह ूलेख िनम् निलिखत बातों का साक्षी है तथा इससे सम् बिन्धत पक्ष, एतद्द्वारा, िनम् नानुसार परः पर करार करते हैं -

(1) राज् यपाल एतद्द्वारा, ौी/मेससर् .... को इसमें विणर्त ू योजनों के िलये .... वनखण् ड की इकाई बमांक .... में, जो िक अिधक िविशं ट रूप से अनुसूची "क" में विणर्त की गई है तथा उससे उपाबद्ध मानिचऽ में दशार्ई है िविनिदर्ं ट वन उपज .... के सम् बन् ध में अपने अिभकत् तार् के रूप में िनयुक् त करते हैं।
(2) यह करार तारीख .... से .... तक ूवृत् त रहेगा जब तक िक वह राज् यपाल द्वारा इन ूलेखों के िनबन् धनों तथा शतोर्ं के अनुसार उसके पूवर् में ही पयर्विसत न कर िदया जाये।

(3) मध् य ूदेश उपज (व् यापार िविनयम) िनयम, 1969 के (जो इसमें इसके पँ चात् उक् त िनयमों के नाम से िनिदर्ं ट है) उपबन् ध इन ूलेखों के भाग होंगे और उनके सम् बन् ध में यह समझा जायेगा िक वे इन ूलेखों में िविनिदर्ं ट समािवं ट हो चुके हैं।

(4) अिभकत् तार् को इकाई में िविनिदर्ं ट वन उपज .... के संमहण तथा पिरदान की व् यवः था करने हेतु अिभकरण कालाविध की समाि प्त पर उसमें इसके नीचे दी गई िकः तों में पूणर् पािरौिमक चुकाया जायेगा।

िदनांक को या उसके पँ चात्	माऽा के संमहण तथा पिरदान के पँ चात्	देय रकम
(1)	(2)	(3)

परन् तु-

(एक) अिभकत् तार् िविनिदर्ं ट वनोपज .... की ऐसी माऽा के िलये जो .... वन उपज .... के ू ित .... रुपये .... िविनिदर्ं ट वन उपज .... के ूित.................. के िलये अितिरक् त पािरौिमक पाने का हकदार होगा : और

(दो) अिभकत् तार् .... से कम पड़ने वाली िविनिदर्ं ट वन उपज .... के िलए .... रुपये ूित .... की दर से संगिणत की गई रकम उसके पािरौिमक में से काटे जो के दाियत् वाधीन होगी।

(5) अिभकत् तार् एतद्द्वारा राज् यपाल के साथ िनम्नानुसार अिभव् यिक्तरूपेण ूसंिवदा करता है -

(एक) वह िविनिदर्ं ट वन उपज .... के सम् बन् ध में उसके द्वारा िकए गये समः त संव् यवहारों में राज् यपाल के िलये तथा उसकी ओर से कायर् करेगा। समः त मूल् य तथा व् यय, िजन् हें िक, यथािःथित, ः वछन् नकरण, भण् डारकरण, ौेणीकरण, ूसंः करण, पिरवहन, बोरों में भरने तथा हः तान् तरण होने के मद्दे पूरा करने का उपगत करने की, इस लेख के अधीन उससे अपेक्षा की जाती है, अनुसूिच "ख" में िविनिदर्ं ट की गई दरों से अिधक न हीं होंगे। उपयुर्क् त मूल् य तथा व् ययों के िलए िजनके अन् तगर्त वे खचेर्ं तथा व् यय आते हैं, िजसका नीचे के खण् ड (चार) (पाँच) के अधीन िकया जाना आपेिक्षत हो, िकन् तु जो िक उसके ओर से होने वाली उपेक्षा या अवचार के िलये शाि ःत की भरपाई के िलये न होकर अन् यथा हो, उसके द्वारा अपने अिधकार में रखे गये ूारिम्भक अमदाय धन में से पूितर् की जायेगी तथा इस करार के िनबन् धनों के अनुसार उसके द्वारा तत् पँ चात् ूाप् त की गई रकमें और उसके द्वारा राज् यपाल के िलये तथा उसकी ओर से इस ूकार िकये गये समः त व् यय िनयतकािलक या अिन्तम िहसाब लेते समय समायोिजत िकए जावेंगे।

(दो) वह िविनिदर्ं ट वन उपज .... के ऐसे ूकार की क् वािलटी तथा माऽा का, जो िक अनुसूिच "ज" में िविनिदर्ं ट की गई है, उगाने वालों से बय करेगा, और/या सरकारी भूिमयों से संमहण करेगा और यिद खंडीय वन आिफसर द्वारा िलिखत में िदया जाये तो वह उन् हें सुखाएगा, साफ करेगा, ौेणीकरण करेगा तथा ू संः करण के पँ चात् बारे में भरेगा, उनका पिरवहन करेगा और उन् हें उसके द्वारा िनिमर्त या भाड़े पर िलए गये संमहण गोदाम में संमहीत करेगा।

(तीन) अिभकत् तार् अनुसूिच "ग" में तथा िविनिदर्ं ट रीित में सुखोन, ः वछन् न् करण, ौेणीकरण, ूसंः करण, बोरे में भरने तथा संमहण का संकायर् इस ूकार करेगा िक िजससे उक् त उपज उपभोग व िनमार्ण में कच् चे माल के रूप् में उपयोग या व् यापार के िलये उपयुक् त बनी रहे। यिद उक् त उपज की उपयोग या कच् चे माल के रूप में उपयोग या व् यापार के ूयोजन के िलये उपयुक् तता के सम् बन् ध में कोई िववाद हो, तो वह मामला खंडीय वन आिफसर को िनिदर्ं ट िकया जायेगा िजसका िक िविनँ चय अिन्तम होगा :

परन् तु अिभकत् तार् ऐसी िकसी भी हािन के िलये दाियत् वाधीन होगा जो िक सरकार ने उपभोग या िनमार्ण में कच् चे माल के उपयोग में या ऐसी वन उपज .... की उपयुक् तता न होने से अः वीकार कर िदये जाने के कारण उठाई हो और इस ूकार उठाई गई हािन अिभकत् तार् से पितभूित िनआ ोप में से वसूल की जाएगी और भूराजः व के बकाया की भाँित भी वसूली योग् य होगी।

(चार) अिभकत् तार् उगाने वालों को ऐसा बय मूल् य चुकावेगा जो िक अिधिनयम की धारा 7 के अधीन सरकार द्वारा िनयत िकया जाये तथा अनुसूची "घ" में उिल्लिखत िकया जाय।

(पाँच) वह सरकारी वनों तथा अन् य शासकीय भूिमयों से िविनिदर्ं ट वन उपज .... का संमहण करने के िलए लगाये व् यिक्तयों को ऐसे संमहण सम् बन् धी ूभार चुकावेगा जो िक राज-पऽ में

अिधसूिचत तथा अनुसूिच "ङ" में उिल्लिखत िकये गये हों।

(छः)

वह िविनिदर्ं ट वन उपज .... की ऐसी माऽा का पिरदान इस इकाई के िलये िनयुक् त "बेता" केा या ऐसे व् यिक्त या व् यिक्तयों को जो िक .... खण् ड के खण् डीय वन आिफसर द्वारा (िजसे इसमें, इसके पँ चात् उक् त वन आिफसर कहा गया है) समय-समय पर िनदेर्िशत िकये जायें, करेगा।

(सात) इस ूकार बय की गई या संमहीत की गई िविनिदर्ं ट वन उपज .... उसके द्वारा सरकार के िलये और उसकी ओर से तब तक रखी जावेगी जब तक िक वह बेता या ऐसे व् यिक्तयों को, जो िक उक् त वन आिफसर द्वारा िनदेर्िशत िकये जायें, पिरदत् त न कर दी जाये। (आठ) इकाई के भीतर ऐसे केन् िों में ऐसे संमहण सम् बन् धी कां ठागार (Collection depot) खोलेगा तथा ऐसे संमह सम् बन् धी गोदामों का िनमार्ण करावेगा िजनका िक उक् त वन आिफसर द्वारा िनदेर्श िदया जाए। अिभकत् तार् खंडीय वन आिफसर के या इस सम् बन् ध में उसके द्वारा िलिखत में ूािधकृत िकये गये आिफसर के िलिखत आदेश ूाप् त िकये िबना खण् ड 5 (दो) में विणर्त शतोर्ं के अध् यधीन संमहण कायर् बन् द नहीं करेगा।

(नौ) वह इस ूकार बय संमह की गई िविनिदर्ं ट वन उपज .... का िनकटतम गोदाम तक पिरवहन करेगा, इसे पँ चात् वह उसे संमह गोदाम से तब तक नहीं हटावेगा जब तक िक उक् त वन आिफसर द्वारा, उक् त िनयमों के िनयम 5 के अधीन रहते हुए िनदेर्श न िदये जायें।

(दस) वह िविनिदर्ं ट वन उपज .... के बय और संमह के िलये सरकार द्वारा अिधसूिचत की गई दरों को ूत् येक केन् ि पर ः थानीय भाषा में ूमुख रूप से ूदिशर्त करेगा।

(ग् यारह) वह िव िनिदर्ं ट वन उपज .... िविनयोग से सम् बिन्धत ऐसे समः त अिधकारों का ध् यान रखेगा जो िक ूायवेट व् यिक्तयों में िविधपूवर्क िनिहत हो।

(बारह) वह, ऐसे रिजः टर तथा लेखे ऐसे ूारूपों में रखेगा जो िक समय-समय पर िविहत िकये जायें। (तेरह) वह उक् त वन आिफसर को, या ऐसे अन् य आिफसर को, जो िक उक् त वन आिफसर द्वारा ूािधकृत िकया जाये, ऐसी िववरिणयाँ ऐसे अन् तरालों पर ू ः तुत करेगा जो िक उक् त वन आिफसर द्वारा समय-समय पर िनदेर्िशत िकये जावें।

(चौदह)

वह उक् त वन आिफसर को तथा ऐसे िकसी अन् य आिफसर को जो िक उक् त वन आिफसर द्वारा ूािधकृत िकया जावे, िकसी संमह केन् ि तथा भण् डारकरण, गोदाम में रखे ः टाक तथा लेखाओं के िनरीक्षण के िलये समः त सुिवधाएँ देगा।

(पन् िह) िकसी भी ऐसे नुकसान के िलये उत् तरदायी होगा जो िक सरकार वन में उसके संकायर् के अनुबम में, उसकी उपेक्षा का चूक के कारण सरकारी वन को पहुँचे। ऐसे नुकसान के िलये ूितकर का िनधार्रण उक् त वन आिफसर द्वारा िकया जावेगा। उस पर (ूितकर के) का िविनँ चय, क्षेऽीय वन संरक्षक को अपील के अध् यधीन रहते हुए, अिन्तम िनँ चायक तथा पक्षकारों को आबद्धकर होगा :

परन् तु नुकसान के िलए कोई भी ूितकर अिभकत् तार् को सुनवाई का अवसर िदये िबना िनधार्िरत नहीं िकया जावेगा।

(सोलह) वह, समः त समयों पर, तत् समय ऐसे समः त िनयमों, िविनयमों, आदेशों का पालन, तथा अनुपालन करेगा जो िक भारतीय वन िवधान, 1927 के अधीन बनाये तथा जारी िकये गये हों। अिभकत् तार् के इस बात से अवगत होने की दशा में िक िकसी व् यिक्त या िकन् हीं भी व् यिक्तयों द्वारा पूवोर्क् त िनयमों, िविनयमों तथा आदेशों में से िकसी भी िनयम, िविनयमन या आदेश का भंग िकया गया है, वह ऐसे भंग के तथ् य को िरपोटर्, िनकटतम वन आिफसर को तत् काल करेगा और ऐसे भंग िकये जाने से सम् बिन्धत व् यिक्त या व् यिक्तयों का पता लगाने के िलये अपने पूणर् ूयासों का उपयोग करेगा तथा ऐसे व् यिक्त का व् यिक्तयों को िगरफ्तार कराने में तथा समुिचत ूािधकािरयों द्वारा उन् हें या उसे िसद्धदोष ठहराने में समः त युिक्तयुक् त सहायता, यिद अपेिक्षत हो, देगा।

(सऽह) वह, उक् त अिधिनयम, उक् त िनयमों द्वारा या उनके अधीन उसके द्वारा िकये जाने के िलये अपेिक्षत समः त कायोर्ं तथा कत् तर्व् यों को करने तथा िनिषद्ध िकए गये, िकसी कायर् को करने या सम् पािदत करने से िवरत रहने तथा इस करार के िनबन् धनों तथा शतोर्ं के सम् यक् पालन तथा अनुपालन के िलये ूितभूित के रूप में उक् त िनयम 3 के उपिनयम (9) के अनुसार संगिणत की गई वन आिफसर के पक्ष में िनिक्षप् त की गई रुपये .... (रु. ....) की रािश िगरवी रखने के िलए ः वयं को आबद्ध करता है। अिभकत् तार् यह और भी करार करता है िक वह ऐसे ूत् येक कायर् लोप या कायर् के िलये जो उसके ः वयं के द्वारा या उसके द्वारा िनयोिजत िकये गये व् यिक्तयों द्वारा उक् त अिधिनयम, उक् त िनयमों या इस करार के उपबन् धों के उल् लंघन में िकया गया हो, राज् यपाल को पाँच सौ रुपये की रािश चुकावेगा।

(अट्ठारह) यिद वह खण् ड 5 के उपबन् ध (दो) में उपबिन्धत िकये अनुसार िविनिदर्ं ट वन उपज .... को बय करने, संमहीत करने और/या उसकी माऽा पिरदत् त करने में असफल रहे, तो यह समझा जायेगा िक उसने अिभकत्

तार् के रूप में अपने आभारों का भंग िकया है और वह .... रुपये ूित .... की दर से ूितकर चुकाने के दाियत् वाधीन होगा।(उन् नीस) िविनिदर्ं ट वन उपज .... के िकसी लाट या िकन् हीं लोटों का पिरदान करने के पँ चात् , अिभकत् तार् उस धन का, जो उसे राजयपाल द्वारा बय तथा संमहण सम् बन् धी ूभारों की तथा राज् यपाल की ओर से उसके द्वारा भुगतान िकये गये समः त अन् य व् ययों की तथा पािरौिमक की पूितर् के िलये सौंपा गया हो, लेखा ूः तुत करेगा और उसे, उसको शोध् य शेष रकम का, यिद कोई हो, संदाय िनयमों द्वारा िविहत की गई रीित से िकया जायेगा। ऐसा करते समय उक् त वन आिफसर, अिभकत् तार् को सुनवाई का युिक्तयुक् त अवसर देने के पँ चात् ऐसी रकम या रकमों को जो इस करार नामे के अनुसार अिभकत् तार् से वसूली योग् य िकसी शाि◌ःत, ूितपूितर् या िकसी अन् य खचोर्ं या व् ययों के मद्दे राज् यपाल को शोध् य हो, काट सकेगा। (बीस) ऐसे कोई रकम, िजसका उक् त अिधिनयम की धारा 9 के अधीन िविनिदर्ं ट वन उपज .... के उगाने वाले को ूितकर के रूप में चुकाया जाना अिभकत् तार् द्वारा िविनिदर्ं ट वन उपज .... के अनुिचत रूप से अः वीकार िकये जाने के कारण राज् य सरकार से अपेिक्षत हो, अिभकत् तार् ौी .... से वसूल की जावेगी।

(6) अिभकत् तार् यह और भी करार करता है - िक वह िविनिदर्ं ट वन उपज .... की जब िक वह उसके िनयंऽण के अधीन रहे, सुरिक्षत अिभरक्षा तथा संमहण के िलये उत् तरदायी होगा और इस करार के या तो समय बीत जाने के कारण या अन् यथा, पयर्विसत होने की तारीख तथा उसके द्वारा रखी गई िविनिदर्ं ट वन उपज .... ः टाक को अिग्न, चोरी आिद से बचाने के िलए आवँ यक पूवोर्पाय भी करेगा।

(7) यिद अिभकत् तार् करार की शतोर्ं में से िकसी शतर् को भंग करे और यिद ऐसे िकसी भंग के कारण करार का पयार्विसत िकया जाना ूः तािवत न िकया गया हो, तो ऐसा वन आिफसर, ूत् येक भंग के िलये, ऐसी शाि◌ःत जो पाँच सौ रुपये से अिधक न हो, अिधरोिपत कर सकेगा यिद शाि◌ःत की रकम दो सौ रुपये से अिधक हो तो इस आदेश के िवरुद्ध अपील क्षेऽीय वन संरक्षक को होगी, िजसका िक िविनँ चत अिन्तम तथा पक्षकारों को आबद्धकर होगा।

(8) यिद अिभकत् तार् इस करार के िनबन् धनों में से िकसी भी िनबन् धन के पालन में चूक करे, तो िकसी भी अन् य अिधकारों या ूितकारों पर ूितकूल ूभाव डाले िबना, राज् यपाल, अपने िवकल् पानुसार करार पयार्विसत कर सकेंगे। करार के इस ूकार पयार्विसत हो जाने पर राज् यपाल -

(क) उक् त खंड 5 (सऽह) में विणर्त ूितभीित िनक्षेप समपिहरत करने।

(ख) अिभकत् तार् से, इस करार के वसूली योग् य संभाव् यतः वसूल योग् य शाि◌ःत, ूितकर ूितपूितर् खचर्, शोध् य, ूभार भू-राजः व के भाँित वसूल करने, और

(ग) तीन वषर् से अनिधक कालाविध के िलए अिभकत् तार् का नाम काली सूची में दजर् करने के िलए हकदार होंगे।

(9) इस करार के अधीन अिभकत् तार् से वसूली योग् य कोई भी रािश उससे भू-राजः व के बकाया की भाँित वसूली हकदार होंगे।

अनुसूची क

अनुसूची ख

अनुसूची ग

अनुसूची घ

अनुसूची ङ

िजसके साआ य में इससे सम् बिन्धत पक्षों में ूथम बार ऊपर िलखी तारीख तथा वषर् को अपने-अपने हः ताक्षर कर िदये हैं और अपनी-अपनी मुि◌ा अंिकत कर दी है।

साआ य - मध् य ूदेश के राज् यपाल की ओर से

(1) ....

(2) ....

साआ य - अिभकत् तार् के हः ताक्षर

(1) ....

(2) ....

ारूप "ग"

(िनयम 4(2) देिखये)

पिरवहन अनुज्ञा-पऽ की मंजूरी के िलये आवेदन-पऽ

(क) आवेदन का नाम .... (ख) बय की गई िविनिदर्ं ट वनोपज की माऽा .... (ग) वह खंड तथा इकाई, िजसमें िक िविनिदर्ं ट ....
वन उपज बय की गई।

(घ) वह ः थान या वे ः थान जहां से वन उपज संमह..की गई। यिद एक से अध ः

थान में संग्रह की गईहो तो ूत् येक ः थान पर संग्रहीत माऽा का उल् लेख कीिजए।
(ङ) अपेिक्षत अनुज्ञा-पऽ का ूकार .... (च)
वह माऽा िजसके िलये अनुज्ञा-पऽ का अपेिक्षत है .... (छ) कालाविध, िजसके िलये अनुज्ञा-पऽ अपेिक्षत है .... (ज) गंतव् य ः थान जहाँ से और जहाँ तक से िविनिदर् ट ....
वन उपज का पिरवहन िकया जाना है।
(झ) पिरवहन की रीित .... (ञ)वे मागर् िजनके द्वारा िविनिदर् ट वन उपज ....
पिरवहन की जानी है।
(ट) वे ः थान जहां िविनिदर् ट वन उपज जाँच ....
पड़ताल के िलए ूः तुत की जावेगी।
(ठ) वह ः थान/वे ः थान पिरवहन की गई िविनिदर् ट ....
वनोपज संग्रहीत की जावेगी।
(ड) िवबय ूमाण पऽ जो संलग् न है। ....ः थान
....

िदनांक ....

ारूप "पी" 1 (मुख् य)
(िनयम 5(1) देिखये)
संग्रहण िडपो से भंडारकरण गोदाम तक

पुः तक बमांक ....पृष्ठ बमांक .... ौी मेससर् ....
.... खंड के यूिनट बमांक .... के बेता ने .... के सम् बन् ध में करार के खंड .... के अनुसार .... के .... िक्वंटलों का बय मूल् य .... रुपये पूणर्त:/अंशत: चुका िदया है।
तद्नुसार उसे .... िक्वंटल .... का .... से (संग्रहण िडपो से) .... (भंडारकरण गोदाम) तक पिरवहन करने की अनुज्ञा दी जाती है।
(2) अनुज्ञा-पऽ िदनांक .... तक िविध मान् य है। उपरोक् त का पिरवहन िनम् निलिखत मागर् से िकया जायेगा .... तथा जाँच पड़ताल के िलये और पिररक्षण हेतु िनम् निलिखत ः थानों पर ूः तुत िकया जावेगा .... ।
(3) उपयोग करने के िलए अनुज्ञात सहायक अनुज्ञा-पऽ के ब् यौरे -
पुः तक ब. .... पृष्ठ ब. .... िदनांक ....
तक जारी करने के िलये िविधमान् य है।

....
खण् डीय वन आिफसर

ारूप "पी" 2
(िनयम 5(1) दो देिखये)
पिरवहन अनुज्ञा-पऽ 2
राज् य से बाहर पिरवहन हेतु

पुः तक बमांक ....पृष्ठ बमांक...

(1) ौी मेससर् .... खंड .... के यूिनट ब. .... के बेता को .... (वन उपज) के सम् बन् ध में पैकेजों में पैक की गई .... िक्वंटल िविनिदर् ट वन उपज का .... से .... तक सड़क द्वारा तथा वहाँ से .... तक शेन द्वारा पिरवहन करने की अनुज्ञा दी जाती हैं।
(2) मध् य ूदेश के बाहर पारेिषती का नाम तथा पता .... ।
(3) अनुज्ञा-पऽ िदनांक .... िविधमान् य है।
ः थान ....

िदनांक ....

ारूप "पी" 3
(िनयम 5(1) तीन देिखये)

पुः तक बमांक ....पृष्ठ बमांक.. संग्रहण केन् ि भण् डारकर गोदाम से राज् य के भीतर िकसी ः थान तक

(1) बेता का नाम ....

(2) .... यू िनट ब. .... खण् ड .... के सम् बन् ध में।(3) गौण वन उपज की मद ....

(4) खंडीय वन आिफसर के ूािधकार का िनदेर्श ब. .... िदनांक .... (5) माSा .... कालाविध .... िजसके िलये पद 4 में ूािधकार जारी िकया गया है।

(6) उपरोक् त ूािधकार के अधीन पूवर् में पिरवहन की गई माSा ....

(7) अब इस अनुज्ञा-पS के द्वारा पिरवहन की जाने वाली माSा .... (8) ः थान ....से .... तक(9) पिरवहन का ूयोजन ....

(10) पिरवहन का मागर् ....

(11) जाँच पड़ताल के ः थान .... (12) अनुज्ञा-पS िदनांक .... तक िविधमान् य हैं।जाँच करने वाले के हः ताआ ार जारी करने वाले के हः ताक्षर

नोट - जब तक खण् डीय वन आिफसर द्वारा िलिखत में अन् यथा ूािधकृत न िकया हो अविध 48 घंटे से अिधक नहीं होगी। ू

ारूप "घ"

(िनयम 6(2) देिखये)

िविनिदर्ं ट वन उपज के सम् बन् ध में धारा 19 के अधीन िविनिदर्ं ट वन उपज को उगाने वालों के रिजःशीकरण के िलये आवेदन

(क) आवेदक का नाम, िपता का नाम, पता ....

(ख) उन भू-खण् डों की िःथित, क्षेS तथा सवेर् नम् बर िजन पर िविनिदर्ं ट वन उपज उगाई गई है। ....

(ग) भूिम के ः वामी के िवषय में िविशिष्टयाँ ....

(घ) ू त् येक भू-खण् ड के िवद्यमान वृक्षों की ....

(ङ) क् या िविनिदर्ं ट वन उपज (.................) वािणज् य फसल के रूप में उगा रहा हैं।

(च) िविनिदर्ं ट वन उपज (.................) का ूाक् किलत उत् पादन।

(छ) गत तीन वषोर्ं में िकतनी माSा संमहीत की गई। वषर् माSा

....	....	
	....	....
	....	....

(ज) .... तथा .... वषर् ....

(िपछले दो वषोर्ं) में िविनिदर्ं ट वन उपज () िकसको औरिकतनी रािश में बेची गई।

(झ) ः थान, जहाँ िविनिदर्ं ट वन उपज जब तक पिरदान न िकया जाये। अः थाई रूप से संमहीत की जायेगी। ....

ः थान ....

िदनांक ....

ारूप "ङ"

(िनयम 6(2) देिखये)

वन उपज के उगाने वालों का रिजःशीकरण ूमाण-पS

पुः तक ब. ....पृष्ठ ब...

यह ूमािणत िकया जाता है िक ौी .... आत् मज .... माम .... थाना .... तहसील .... िजला .... जो इकाई ब. .... में आता है, को खंड .... की िविनिदर्ं ट वन उपज के सम् बन् ध में मध् यूदेश वन उपज (व् यापार िविनयमन) अिधनियम, 1969 की धारा 10 के अधीन अपेिक्षत िकये अनुसार िविनिदर्ं ट वन उपज के उगाने वाले के रूप में तारीख .... को रिजःशीकरण िकया गया है।

उपभोग या िनमार्ण के िलये कच् चे माल के रूप में या व् यापार के िलये उसके खाते में की उपयुर्क् त िविनिदर्ं ट वन उपज का वािषर्क उत् पादन ूाक् किलत .... है। संमहण के ः थान ....।

उगाने वाला उसके द्वारा तारीख .... से .... तक की काला विध के दौरान संमहीत तथा िनवितर्त वन उपज का लेखा रखेगा और उसे इस कायार्लय में ूितवषर् तारीख .... को ूेिषत करेगा।

खातों का ब् यौरा -.....................

उपखंडीय वन आिफसर
संलग् न अिधकू

ा
रूप "च"
(िनयम
6(5)
देिखये)

रिजः टडर् वनोपज उगाने वाले की लेखा पचीर्

वषर् ....नाम तथा पता .... रिजःशीकरण बमांक .... इकाई
.... वनोपज .... माSा .... ।

खंडीय वन आिफसर ....खण् ड

िदनांक	बय की गई माSा	दर	भुगतान की गई रािश	अिभकत् तार् या सरकार के ऐसे व् यिक्त के हः ताक्षर जो िविनिदर्ं ट वन उपज बय करने हेतु ूािधकृत है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				ू

ारूप "छ"

िविनिदर्ं ट वन उपज के िविनमार्ता व् यापारी उपभोक् ता द्वारा घोषणा

मैं/हम ....एतद्द्वारा घोिषत करता हूँ/करते हैं िक मैं/हम िविनिदर्ं ट (वनोपज) के िजला.................... राज् य में कायर्रत् वाः तिवक िविनमार्ता हूँ/हैं। मेरे/हमारे कारोबार ब् यौरे .... िनम् नानुसार हैं -

(1) उस व् यिक्त या फमर् या कम् पनी का नाम .... िजसके नाम से कारोबार चलाया जाता है।

(2) फमर् या कम् पनी का रिजःशीकरण बमांक .... (3) कारोबार के उन केन् िों के नाम िजनमें ....
िक या तो कायार्लय हो या िडपो हो-

(1) ....

(2) ....

(3) ....

(4) घोषणा ूपS ूः तुत करने का समय ूत् येक .... िडपो में िविनिदर्ं ट (वनोपज) का वतर्मान ः टाक।

संमहण केन् ि का नाम ूजाित माSा (1) (2) (3)

(5) व् यापार, िजसके िलए िविनिदर्ं ट (वनोपज) को कच् चे माल के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है या उसके िकस ूाकर उपयोग िकया गया है।

(6) पूवर् के दो वषोर्ं के दौरान ूितवषर् िविनिमर्त ऐसे तैयार माल की माSा िजसके िक िविनिदर्ं ट (वनोपज...) को कच् चे माल के रूप में ूयुक् त िकया गया उपयोग में लाई गई िविनिदर्ं ट (वनोपज...) की माSा ।

वषर्	तैयार माल की माSा	उपयोग में लाई गई िविनिदर्ं ट (वन उपज ....) की माSा
(1)	(2)	(3)

(7) आगामी वषर् के दौरा तैयार माल की अनुमािनत माSा और उसके िलये िविनिदर्ं ट (वनोपज) की अनुमािनत आवँ यकता।(क) अनुमािनत तैयार माल ....

(ख) िविनिदर्ं ट (वनोपज) अनुमािनत ....

(8) पूवर् के दो वषोर्ं के दौरान ूितवषर् िनयार्त की गई िविनिदर्ं ट (वन उपज) की माSा।

वषर्	िनयार्त का ः थान	िकसको िनयार्त की गई	माSा

1. 2.	1. .... 2. .... 3. .... 1. .... 2. .... 3.	....	....

(9) आगामी वषर् के दौरान अनुमािनत िनयार्त (माSा) .... में यह और घोिषत करता हूँ िक मैंने मध् य ू देश वन उपज (व् यापार िविनयमन) अिधनियम, 1969 तथा उसके अधीन बनाये गये िनयमों के उपबन् ध पढ़ िलये हैं तथा समझ िलये हैं।

ऊपर िदये गये समः त ब् यौरे मेरे सवोर्त् तम ज्ञान के अनुसार सही हैं और उनके ूमाण में साआ य पेश करूँगा।

ः थान ....

....
िविनमार्ता/व् य

घोषणा पS ूः तुत करने की तारीख .... तारीख को .... (आिफसर) को .... (ः थान) पर दो ूितयों में ूः तुत की गई।

िविनमार्ता/व् यापारी/उपभोक् ता के हः ताक्षर

ा

रूप "ज"
(िनयम
8(2)
देिखये)

धारा 11 के अधीन िविनिदर् ट वन उपज (...........) के िविनमार्ता, व् यापारी/उपभोक् ता के रिजःशीकरण के िलये आवेदन-पS -

(क) आवेदक का नाम, उसके िपता का नाम तथा आवेदक का पता ....
(ख) यिद वह रिजःशीकृत फमर् या कम् पनी हो, तो ....
फमर् या कम् पनी के नाम उसका रिजःशीकरण बमांक, ...
रिजःशीकरण का वषर्, ...मुख्
यत् यारनामा धारण करने वाले व् यिक्त का नाम तथा पता ....
मुख् यत् यारनामे की एक ूित संलग् न की जाये।
(ग) कारबार का/के ः थान या मुख् यालय या ....
ू धान कायार्लय की िःथित, मम या नगर, ...तहसील, पुिलस थाना तथा िजला। ....
(घ) िविनिदर् ट वन उपज ....
व् यापार की िव िशिष्टयाँ (माSा)
(1) ूितवषर् कच् चे माल के रूप में ूयुक् त औसत माSा।

और/या

गत तीन वषोर्ं के दौरान राज् य के बाहर ूितवषर् िनयार्त की गई िविनिदर् ट वन उपज (...........) की औसत माSा तथा गत तीन वषोर्ं के दौरान ूत् येक वषर् िनयार्त की गई िविनिदर् ट वन उपज (...........) की माSा। औसत माSा

वषर् ....
वषर् ....
वषर् ....

(2) िविनमार्ता की दशा में व् यापारी िचन् ह, यिद कोई हो तथा व् यापारी की दशा में उस ः थान का नाम या उन ः थानों के नाम, जहाँ िविनिदर् ट वन उपज (...........) का िनयार्त िकया जाता है।(3) िविनिदर् ट वन उपज (...........) की ूाक् किलत वािषर्क आवँ यकता -

(एक) िनमार्ण के कच् चे माल के रूप में उपयोग या व् यापार के ूयोजन हेतु।(दो) िनयार्त के ू योजन हेतु

(4)
उन गोदामों के ः थान का या ः थानों के नाम जहां आवेदक का वन उपज (...........) का ः टाक भण् डािरत िकया जाता है।
(5) वह रीित, िजसमें िक अपेिक्षत ः टाक अिभूाप्त िकया जाता है।

(6) केन् िीय उत् पादन शुल् क (एक् साइज) रिजःशीकरण बमांक यिद कोई हो।
(ङ) आवेदक ....
(एक) िविनमार्ता।
(दो) व् यापारी।
(तीन) उपभोक् ता के रूप में कब से कायर् करता है ....
(च) दो ूितिष्ठत व् यिक्तयों के नाम तथा पते िजनको िक आवेदन पS के ब् यौरे के सत् यापन के िलये िनदेर्श िकया जा सके।
(एक) ....
(दो) ....
(छ) िविनिदर्ं ट वन उपज (...........) की माSा िजसके िलये रिजःशीकरण अपेिक्षत है।
(ज) वषर् िजसके िलये रिजःशीकरण अपेिक्षत है।
(झ) क् या आवेदक पूवर् में राष्टर्ीयकृत िकया गया था और यिद ऐसा है तो िकस वषर् में तथा िकस खण् ड में और िविनिदर्ं ट वन उपज (...........) की िकतनी माSा के िलए।
(त)
कोई अन् य जानकारी िजसे आवेदक इस साआ य के रूप में देना चाहे िक वह िविनिदर्ं ट वन उपज (...........) का वाःतिवक िविनमार्ता/व् यापारी/उपभोक् ता .... हैं।
(थ) .... रुपये रिजःशीकरण फीस के संदाय का साआ य।

ः थान ....

तारीख ....

ारूप "झ"
(िनयम 8(2) देिखये)

िविनिदर्ं ट वन उपज के .... िविनमार्ता/व् यापारी।
उपभोक् ता के रूप में रिजःशीकरण का ूमाण-पS
पुः तक बमांक .... पृष्ठ बमांक ....

यह ूमािणत िकया जाता है िक ौी/मेससर् .... आत् मज .... िनवासी .... थाना .... तहसील .... िजला .... को मध् य ूदेश वन उपज (व् यापार िविनयमन) अिधनियम, 1969 की धारा 11 तथा उसके अधीन बनाये गये िनयमों की अपेक्षानुसार िविनिदर्ं ट वन उपज (...........) के िविनमार्ता/व् यापारी/उपभोक् ता के रूप में वषर् .... के िलये रिजःशीकृत िकया गया है।

िविनमार्ता/व् यापारी/उपभोक् ता के िलये ूितवषर् हाथ में ली गई िविनिदर्ं ट वन उपज (...........) की ूाक् किलत माSा लगभग .... है जो िनम् निलिखत ः थानों पर संमहीत है।

(1)
(2)
(3)
(4) मुिा
(5) खण् डीय वन आिफसर

ूितिलिप वन संरक्षक, वन उपज मध् य ूदेश, भोपाल की ओर सूचनाथर् अमेिषत।

ारूप "ञ"
(हः ता) खण् डीय वन आिफसर
पुः तक बमांक .... पृष्ठ बमांक..............................
(िनयम 9 देिखये)िवबय का ूमाण पS

(1) बेता का नाम ....
(2) िवबय िडपो .... इकाई ....
(3) िवबय की गई/पिरदत् त की गई माSा ....
(4) िवबय/पिरदान की तारीख ....

ः थान ....
तारीख ....

वन अिधकारी/अिभकत् तार्
या ूािधकृत ूितिनिध के हः ताक्षर

ारूप "ट"
(िनयम 10(2) देिखये)

िविनिदर्ं ट वन उपज .... के अनुज्ञिप्तधारी को अनुज्ञिप्त मंजूर करने के िलए आवेदन-पS।

(1) आवेदक तथा उसके िपता का नाम ....
(फमर् के मामले में तथा फमर् के नाम से कायर् करने वाले भागीदारों और मुख् तारनामा धारण करने वाले व् यिक्तयों के नाम तथा मुख् तारनामे की ू ित संलग् न की जाये)

(2) पूरा पता ....

(3) वृित्त ....

(4) कराबार के ः थान ....

(5) उस िविनिदर् ट वन उपज का नाम ....
िजसके िलये आवेदन िदया है।

(6) िविनिदर् ट वन उपज की माSा िजसके ....
िलये आवेदन िदया है।

(7) ू त् यािशत वािषर्क आवँ यकता ....
(8) िनजी सम् पित्त के ब् यौरे सिहत िवत् तीय िःथित। ....
(9) उक्त िविनिदर् ट वन उपज के व् यापार के सम् बन् ध में ....
पूवर् अनुभव (यिद कोई हो) तथा संकायर् के क्षेS।
(10) ः थान िजसके िलये अनुज्ञिप्त हेतु आवेदन िकया गया है।
(11) आवेदन फीस के संदा का साआ य ....
(12) वािषर्क अनुज्ञिप्त फीस संदाय का साआ य ....
(मूल चालान आिद संलग् न िकये जायें)

आवेदक के हः ताक्षर

घोषणा

मैंने/हमने मध् यूदेश वन उपज (व् यापार िविनयमन) अिधनियम, 1969 या उसके अधीन बनाये गये िनयमों के समः त उपबन् धों को पढ़अ तथा समझ िलया है। अिधनियम या िनयमों के उपबन् धों के भंग की दशा में मैं/हम िविहत की गई रीित से दिण्डत िकया जा सकूँगा/िकये जा सकेंगे। ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सवोर्त् तम ज्ञान व िवँ वास से सही है।

आवेदक के हः ताक्षर

ारूप "ठ"

(िनयम 10(6) देिखये)

िविनिदर् ट वन उपज

(1) अनुज्ञिप्त बमांक ....

(2) कालाविध िजसके िलये िविधमान् य है ....

(3) अनुज्ञिप्तधारी का पूरा नाम तथा पता ....

(4) वह ः थान या वे ः थान जहाँ फुटकर िवबय ....
िकया जाना अनुज्ञात हैं।

(5) उस िविनिदर् ट वन उपज के नाम िजसके ....
िलये अनुज्ञिप्त मंजूर की गई हैं।

(6) ऐसी ूत् येक िविनिदर् ट वन उपज की माSा...
िजसका िक वषर् के दौरान फुटकर िवबय हेतु व् यापार िकया जाना हो।
मुिा

राजपिSत सहायक
खण् डीय वन आिफसर
खण्

डनोट - (1) मध् य ूदेश वन उपज (व् यापार िविनयमन): िनयम, 1969 के िनयम 10 के साथ पिठत मध् य ूदेश वन उपज (व् यापार िविनयमन) िनयम, 1969 की धारा 13 के अनुसार।
(2) ऊपर विणर्त अिधनियम तथा िनयमों या इस अनुबन् धों का कोई भंग होने की िःथित में अनुज्ञिप्त रद्द िकये जाने के दाियत् वाधीन होगी।